उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०ए० नं०-53/2004-05

आश्विनी झा

बनाम्

राजेन्द्र मांझी एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक 18.02.?

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता अश्विनी झा, पे०-श्री विष्णु प्रसाद झा, सा०-सनातन, थाना-पथरगामा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के डब्लू०पी०सी० नं०-4522/2004 के आदेश दिनांक- 09.09.2004 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं०-46/2002-03 में दिनांक-15.12.2003 के आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आदेश दिनांक- 15.12.2003 के द्वारा मौजा-कैथपुरा झा के दाग नं०-189 एवं 191 रकवा 00-33 डिसमल जमीन उत्तरवादी राजेन्द्र मांझी, पे०-डुरो मांझी, सा०-सनातन, थाना-पथरगामा, जिला-गोड्डा के साथ बंदोवस्ती की गयी है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने बंदोवस्ती सिद्धांत का पालन किये बिना गलत तरीके से बंदोवस्ती केश नं०-46/2002-03 के आदेश दिनांक-15.12.2003 के द्वारा उत्तरवादी राजेन्द्र मांझी के साथ मौजा-कैथपुरा झा के दाग नं०-189 रकवा 00-07-07 धुर एवं रकवा 00-03-17 धुर जमीन की बंदोवस्ती उत्तरवादी राजेन्द्र मांझी के साथ की गयी है। उक्त बंदोवस्ती के समय अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा मौजा-कैथपुरा झा के रैयतों को नोटिश नहीं दिये जाने के कारण अपीलकर्त्ता को बंदोवस्ती का जानकारी समय पर नहीं सका था। अपीलकर्त्ता को उक्त बंदोवस्ती की जानकारी जुलाई 2004 में प्राप्त हुआ। तबतक उक्त आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने का समय अवधि समाप्त हो चुका था। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश दिनांक-15.12.2003 के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में डब्लू०पी०सी० नं०-4522/2004 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची ने आदेश दिनांक-09.09.2004 के द्वारा उपायुक्त, गोड्डा के

न्यायालय में अपील वाद दायर करने के लिए आदेश दिया गया। उसी आदेश के आलोक में अपीलकर्त्ता द्वारा वर्तमान अपील वाद दायर किया गया है। उनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी के साथ की गयी बंदोवस्ती में न्यायसंगत एवं सामयिक वितरण के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही बंदोवस्ती जमीन के नजदीक उत्तरवादी का नीजी जमीन नहीं है एवं उत्तरवादी भूमिहीन व्यक्ति भी नहीं है। इन सारी तथ्यों की अनदेखी कर निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी के साथ जमीन की बंदोवस्ती की गयी। उनका आगे कथन है कि संथाल परगना के स्थायी आदेश नं0–3478 दिनांक–21.10.1957 संथाल मैनुअल के पेज सं0–453 के अनुसार परती कदीम एवं फौती जमीन की बंदोवस्ती की जा सकती है। जबकि की गई बंदोवस्ती की जमीन गड्ढा की जमीन है एवं गड्ढा की जमीन की बंदोवस्ती नहीं की जा सकती है। उनका आगे कथन है कि गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मौजा–कैथपुरा झा गैरमजरूआ खाता अन्तर्गत दाग नं0–189 एवं 191 की जमीन गड्ढा कहकर दर्ज है और उक्त गड्ढा की जमीन पर हरना नदी का पानी नाला से लाकर जमा किया जाता है तथा उस पानी से अपीलकर्त्ता एवं अगल–बगल के रैयत पटवन का कार्य किया करते हैं। पूर्व में उत्तरवादी के द्वारा उक्त गड्ढा की जमीन के अगल–बगल का मिट्टी काटकर समतल करने लगा, तो अपीलकर्त्ता ने दिनांक–22.11.2001 को श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष आवेदन दिया। उक्त आवेदन पर राजस्व विविध वाद सं0–63/2001–02 प्रारम्भ किया गया तथा अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। उस वाद में उत्तरवादी के द्वारा दावा किया गया कि दाग नं0–189 एवं 191 की जमीन बंदोवस्ती केश नं0–135/1975–76 के द्वारा बंदोवस्ती की गयी। जबकि बंदोवस्ती केश नं0–135/75–76 घुन्नी मड़ैया के नाम से दर्ज है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी राजेन्द्र मांझी के विरूद्ध 107 द0प्र0सं0 एवं 144 द0प्र0सं0 की प्रक्रिया भी चलाया गया था, जिसका क्रि0 मिस केश नं0–1319/2001 था। उक्त वाद में दिनांक–08.02.2002 को आदेश पारित किया गया था एवं उक्त आदेश के द्वारा किसी भी पक्ष को प्रश्नगत जमीन से नीजी उपयोग में लाने से प्रतिबंधित किया गया था तथा प्रश्नगत जमीन का सार्वजनिक प्रकृति कायम रखने का आदेश दिया गया था। राजस्व विविध वाद सं0–63/2001 में भी प्रश्नगत जमीन को सार्वजनिक उपयोग हेतु रखने का आदेश दिया गया था। इसके बाद भी श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपने ही पूर्व के आदेश को अनदेखी करते हुए नियम विरूद्ध बंदोवस्ती केश

नं0–46/2002–03 के द्वारा उत्तरवादी राजेन्द्र मांझी के साथ बंदोवस्ती की गई है। उन्होंने बंदोवस्ती केश नं0–46/2002–03 के द्वारा की गयी बंदोवस्ती को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कैथपुरा झा के दाग नं0–189 रकवा 00–07–07 धुर एवं दाग नं0–191 रकवा 00–03–17 धुर जमीन गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाता की जमीन है एवं उत्तरवादी के पैतृक जमीन से सटा हुआ है और उत्तरवादी के पिता के समय से उत्तरवादी के दखल कब्जा में चला आ रहा है। इसलिए उत्तरवादी के साथ की गयी बंदोवस्ती नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–16/रा0 दिनांक–06.01.2021 से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–कैथपुरा झा थाना नं0–273 के गैरमजरूआ खाता नं0–32 अन्तर्गत खेसरा सं0–189 रकवा 00–07–07 धुर एवं खेसरा नं0–191 रकवा 00–03–17 धुर जमीन किस्म गड्हा के रूप में गत सर्वे खतियान में दर्ज है। उनका आगे प्रतिवेदन है कि जाँच के क्रम में बंदोवस्तदार के वंशज के द्वारा प्रस्तुत कागजात के अवलोकन से पाया गया कि उक्त खेसरा के अंदर पानी जाने का उत्तर तरफ में पूरब से पश्चिम नाला बना हुआ है, जिसका रकवा 03 डिसमल है, को छोड़कर रकवा 30 डिसमल भूमि की बंदोवस्ती अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती वाद सं0–46/2002–03 से राजेन्द्र मांझी, पिता–स्व0 हाड़ो मांझी, सा0–सनातन के साथ की गयी है। पंजी–II के अवलोकन से पाया गया कि उक्त बंदोवस्त भूमि का बंदोवस्तदार के नाम से खाता कायम नहीं है। जाँच के क्रम में ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि उक्त गड्हा के पानी से नाला द्वारा आस–पास के खेतों में सिंचाई होता था। इस प्रकार प्रश्नगत जमीन सार्वजनिक उपयोग में था। प्रश्नगत भूमि की बंदोवस्ती होने से आवेदक एवं ग्रामीणों को आपत्ति है। प्रश्नगत जमीन आम श्रेणी के अन्तर्गत है तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–6144/रा0 दिनांक–21.12.2017 की कंडिका 5–11 (II) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की गैरमजरूआ भूमि यथा गोचर, वन भूमि, शमशान, हड़गढ़ी, कब्रिस्तान, नदी–नाला, पहाड़, आम रास्ता आदि की बंदोवस्ती नहीं की जानी है और विभागीय पत्र के आलोक में

बंदोवस्ती नहीं की गयी है। अंचल अधिकारी, गोड्डा ने बंदोवस्ती को रद्द करने के लिए अनुशंसा किया है।

उपरोक्त तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा–कैथपुरा झा नं0–273 के गैरमजरूआ खाता नं0–32 के अन्तर्गत दाग नं0–189 रकबा 00–07–07 धुर एवं दाग नं0–191 रकबा 00–03–17 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गड्ढा के रूप में दर्ज है। निम्न न्यायालय के द्वारा उक्त दाग नं0–189 एवं 191 के अंतर रकबा 30 डिसमल जमीन की बंदोवस्ती उत्तरवादी राजेन्द्र मांझी के साथ की गयी है। लेकिन चूँकि अंचल अधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बंदोवस्तीदार के नाम से खाता कायम नहीं है तथा उक्त गड्ढा के पानी से नाला के आस–पास के खेतों का सिंचाई होता था। इस प्रकार अपील वाद जमीन सार्वजनिक उपयोग में था और बंदोवस्ती से अपीलकर्त्ता एवं ग्रामीणों को आपत्ति है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के बंदोवस्ती केश नं0–46/2002–03 के आदेश दिनांक–15.12.2003 के द्वारा की गयी बंदोवस्ती को रद्द किया जाता है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

18.02.21

उपायुक्त,
गोड्डा।

18.02.21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 13:46:38 +05:30
Location: 192.168.29.32